न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 78/25

अर्जुनराम पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. चूनाराम पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. मानाराम पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. शेराराम पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. प्रेमचन्द सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

–: निर्णय :–

दिनांकः– 6-6-2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 367, 59 तादादी कमशः 11.8876, 5.4886 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का खान–पान, लेन–देन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानुनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 25.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विकय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विकय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वकुलान की बहस सुनी गई। वकुलान ने दौराने बहस दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को राजीनामा अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया।

वकुलान की बहस पर गनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने के कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। पक्षकार राजीनामा अनुसार वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

–: आदेश :–

अतः पक्षकारों का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कांधलसर के खसरा संख्या 367 तादादी 11.8876 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 3.7939 हेक्टेयर भूमि शेराराम पुत्र जसुराम के नाम से अलग खातेदारी में व दक्षिणी साईड की शेष 8.0937 हेक्टेयर भूमि अर्जुनराम, किशनाराम, चूनाराम, मानाराम पुत्रगण जसुराम के संयुक्त नाम से बहिब तथा खसरा संख्या 59 तादादी 5.4886 हेक्टेयर में सें उतरी पूर्वी कोने की 1.0775 हेक्टेयर भूमि किशनाराम पुत्र जसुराम के नाम से व दक्षिणी पूर्वी कोने की 1.1028 हेक्टेयर भूमि शेराराम पुत्र जसुराम के नाम से व उतरी पश्चिमी कोने की 1.0775 हेक्टेयर भूमि चूनाराम पुत्र जसुराम के नाम से व दक्षिणी पश्चिमी कोने की 1.0775 हेक्टेयर भूमि अर्जुनराम पुत्र जसुराम के नाम से व बीच की 1.0775 हेक्टेयर भूमि मानाराम पुत्र जसुराम के नाम से सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार अलग–अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार 0.0505 हेक्टेयर भूमि व 0.0253 हेक्टेयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जावे। इस हेतु अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 6-6-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)